

न्यायालय सम्पदा अधिकारी एवं
अति० कलक्टर (न्याय) व अति० जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
(पीठासीन अधिकारी - डॉ० गिरीश पाराशर, आर.ए.एस.)

सम्पदा प्रकरण संख्या: 01/2021 (जीसीएमएस संख्या:-2021/161)

राजस्थान सरकार जरिये संयुक्त शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर जरिये प्रभारी अधिकारी, अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय, जयपुर (राजस्थान)

प्रार्थी

बनाम्

चतुर्भुज, सेवानिवृत्त जमादार, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर निवासी-एच-1, एम आर ई सी केम्पस, गांधीनगर, जयपुर।

अप्रार्थी

(परिवाद अन्तर्गत राजस्थान सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अधिवासियों की बेदखली) अधिनियम, 1964 बाबत् राजकीय आवास संख्या-एच-1, एम आर ई सी केम्पस, गांधीनगर, जयपुर का कब्जा दिलाने।)

उपस्थित:-

1. श्री प्रहलाद रावत, राजकीय अभिभाषक, प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थी अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 20.09.2021

प्रार्थी, अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय, जयपुर मुख्यालय जयपुर द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर कि आवास संख्या-एच-1, एम आर ई सी केम्पस, गांधीनगर, जयपुर स्थित राजकीय सम्पत्ति है, जिसे अप्रार्थी श्री चतुर्भुज को राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानों के अन्तर्गत सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2), विभाग, जयपुर के आदेश क्रमांक प.22(1)साप्र/2/04 दिनांक 03.03.2004 द्वारा आवंटित किया गया है जिसमें अप्रार्थी दिनांक 03.03.2004 से निवासरत रहा है। किराये पर आवंटी अप्रार्थी श्री चतुर्भुज दिनांक 21.05.2016 को सेवानिवृत्त हो गये हैं। सेवानिवृत्ति के 02 माह की अवधि समाप्त होने के पश्चात् भी अप्रार्थी द्वारा राजकीय आवास को खाली नहीं करने पर विभाग द्वारा दिनांक 31.10.2018 को आवंटी को राजकीय आवास रिक्त करने तथा बेदखली की कार्यवाही अमल में लाये जाने का नोटिस दिया गया परन्तु आवंटी द्वारा



आवास को रिक्त नहीं किया गया और निर्धारित अवधि के पश्चात बतौर अतिक्रमी उपभोग कर रहा है। अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी से राजकीय आवास सं0-एच-1, एम आर ई सी केम्पस, गांधीनगर, जयपुर को रिक्त कराया जाकर वास्तविक कब्जा दिलाया जावे एवं नियमानुसार किराया/हर्जा राशि वसूल कराई जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहा। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान् अभिभाषक श्री प्रहलाद रावत का कथन है कि प्रकरण अधीन आवास राजकीय आवास संख्या-एच-1, एम आर ई सी केम्पस है, जो गांधीनगर, जयपुर में स्थित है। इस राजकीय आवास को राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानों के अन्तर्गत अप्रार्थी को सामान्य प्रशासन (गुप-2), विभाग के आदेश क्रमांक प.22(1)साप्र/2/04 दिनांक 03.03.2004 द्वारा आवंटित किया गया है और इस आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार आवंटी को सेवानिवृति के परिणाम-स्वरूप सेवानिवृत्त होने की तिथि से दो माह की अवधि में आवास को रिक्त कर कब्जा सम्भलाया जाना आवश्यक है, किन्तु सेवानिवृत्ति के दो माह से भी अधिक अवधि गुजरने एवं आवास को रिक्त किये जाने हेतु नियमानुसार नोटिस क्रमांक प 2(1)साप्र/2/2017 जयपुर दिनांक 31.10.2018 दिये जाने के पश्चात् भी राजकीय आवास को रिक्त कर वापिस कब्जा नहीं सम्भलाया गया है। अप्रार्थी द्वारा आवंटन की शर्तों का उल्लंघन किये जाने के परिणामस्वरूप सेवानिवृत्ति के दो माह की अवधि के पश्चात् राजकीय आवास संख्या-एच-1, एम आर ई सी केम्पस, गांधीनगर, जयपुर में बतौर अतिक्रमी अधिवास किया जा रहा है। आवंटी द्वारा निर्धारित अवधि के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास को रिक्त कर प्रार्थी को कब्जा नहीं संभलाये जाने के कारण राजस्थान सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अधिवासियों की बेदखली) अधिनियम, 1964 के अन्तर्गत प्रार्थी कब्जा प्राप्त करने का तथा हर्जा/किराया राशि प्राप्त करने का अधिकारी है। अप्रार्थी को जारी नोटिस तामील होने के बावजूद भी जानबूझकर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी कानून का उल्लंघन करने का आदि है और कानून सम्मत राजकीय आवास को रिक्त करना नहीं चाहता है। अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी को राजकीय आवास संख्या-एच-1, एम आर ई सी केम्पस, गांधीनगर, जयपुर से बेदखल कर प्रार्थी को कब्जा दिया जाये।



हमने प्रार्थी के विद्वान् अभिभाषक की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। वरवक्त बहस प्रार्थी के विद्वान् अभिभाषक श्री प्रहलाद रावत का कथन रहा है कि राजकीय आवास संख्या-एच-१, एम आर ई सी केम्पस, गांधीनगर, जयपुर सामान्य प्रशासन (गुप-२) विभाग, जयपुर के आदेश क्रमांक प.२२(१)साप्र/२/०४ दिनांक ०३.०३.२००४ द्वारा अप्रार्थी चतुर्भुज जमादार, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर को आवंटित किया गया है जिसकी पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन (गुप-२) विभाग, जयपुर के नोटिस क्रमांक प २(१)साप्र/२/२०१७ जयपुर दिनांक ३१.१०.२०१८ में अंकित तथ्यों से होती है। अप्रार्थी द्वारा राजकीय आवंटित आवास को आवंटन नियमों की शर्तों के अनुसार निर्धारित अवधि सेवानिवृत्ति दिनांक ३१.०५.२०१६ के पश्चात् दो माह की अवधि गुजरने के बावजूद भी रिक्त कर कब्जा नहीं संभलाया जाने पर शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन (गुप-२) विभाग, जयपुर के नोटिस क्रमांक प २(१)साप्र/२/२०१७ जयपुर दिनांक ३१.१०.२०१८ द्वारा आवंटी श्री चतुर्भुज, सेवानिवृत्त जमादार को आवंटित आवास को रिक्त कर कब्जा संभलाये जाने हेतु सूचित किया गया है परन्तु आवंटी द्वारा आवंटित राजकीय आवास को रिक्त कर प्रार्थी को कब्जा नहीं संभलाया गया है जिससे यह स्पष्ट सिद्ध है कि आवंटी श्री चतुर्भुज, सेवानिवृत्त जमादार सेवानिवृत्ति दिनांक ३१.०५.२०१६ के दो माह की अवधि के पश्चात् से बतौर अप्राधिकृत रूप से राजकीय आवास का उपभोग किया जा रहा है। इस न्यायालय द्वारा भी अप्रार्थी को अधिनियम की धारा ४ उप धारा (१) के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया है परन्तु बावजूद सूचना अप्रार्थी न्यायालय में अनुपस्थित रहा है जिससे यह जाहिर होता है कि प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को अप्रार्थी स्वीकार करता है और इस सम्बन्ध में उसे कुछ अन्यथा कथन नहीं कहना है। उक्त विवेचनानुसार स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा राजकीय आवास संख्या-एच-१, एम आर ई सी केम्पस, गांधीनगर, जयपुर पर अप्राधिकृत रूप से अधिवास किया जा रहा है, प्रार्थी, राजस्थान सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अधिवासियों की बेदखली) अधिनियम, १९६४ के प्रावधानों के अन्तर्गत आवास संख्या-एच-१, एम आर ई सी केम्पस, गांधीनगर, जयपुर को रिक्त कराये जाने हेतु पात्र है।

आदेश

(फॉर्म-बी)

इस प्रकार मैं, अधोहस्ताक्षरकर्ता ऊपर अंकित किये गये कारणों से संतुष्ट श्री चतुर्भुज सार्वजनिक राजकीय आवास संख्या-एच-१, एम आर ई सी केम्पस, गांधीनगर, जयपुर (जिसको नीचे अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है) पर अनाधिकृत रूप से काबिज है।



अब, इसलिए राजस्थान सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अधिवासियों की बेदखली) अधिनियम, 1964 की धारा 5(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में इसके द्वारा आदेशित किया जाता है कि श्री चतुर्भुज और जिस किसी के अनाधिकृत रूप से यह परिसर अथवा इसका कोई भाग कब्जे में है, इस निर्णय के प्रकाशन की 30 दिवस की अवधि में खाली कर दें। इस आदेश की ऊपर अंकित की गई अवधि में अनुपालना करने से इंकार करने अथवा विफलता की स्थिति में श्री चतुर्भुज और जिस किसी के अनाधिकृत रूप से यह परिसर अथवा इसका कोई भाग कब्जे में है, से बेदखल किये जाने हेतु उत्तरदायी हैं।

अतः अनाधिकृत रूप से काबिज को निर्देश दिये जाते हैं कि वे गांधीनगर, जयपुर स्थित राजकीय आवास संख्या—एच-1, एम आर ई सी केम्पस को 30 दिवस में रिक्त कर प्रार्थी अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय, जयपुर को कब्जा सम्मला दे। प्रार्थी अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय, जयपुर को आदेश दिये जाते हैं कि आदेश की एक प्रति आवास संख्या-एच-1, एम आर ई सी केम्पस, गांधीनगर, जयपुर के बाहर दरवाजे पर चस्पानगी करें साथ ही उपरोक्त निर्धारित अवधि उपरान्त उक्त परिसर के कब्जे के लिये जाने हेतु धारा 5(2) के तहत अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय, जयपुर को अधिकृत किया जाता है।

अनुसूची

“ राजकीय आवास संख्या-एच-1, एम आर ई सी केम्पस, गांधीनगर, जयपुर”।

निर्णय आज दिनांक 20.09.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।



(डॉ० गिरीश प्रोसशर)
ESTATE OFFICER
(Addl. District Magistrate Judl.)
JAIPUR